UPKU100026602020

न्यायालय J.M./Ist Addl. Civil Judge (Jr. Div.) Kasia Kushinagar, Kushi Nagar

पीठासीन अधिकारी– (Sarvesh Kumar Pandey), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) –UP04748

फौजदारी वाद सं०–1405/2020

सरकार **बनाम** **रमाकान्त यादव आदि।**

मु०अप०सं०–404/2014

धारा–323,504,506 भा०द०सं०

थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर।

सुलहनामा निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/वादी मुकदमा **बंका यादव/चोटहिल** की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.07.2026 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/वादी मुकदमा बंका यादव/चोटहिल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्तगण **रमाकान्त यादव, जगदम्बा यादव व चन्द्रिका यादव** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला वादी मुकदमा बंका यादव/चोटहिल द्वारा अभियुक्तगण **रमाकान्त यादव, जगदम्बा यादव, चन्द्रिका यादव व श्रीराम यादव** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504,506 भा०द०सं० के अधीन दाखिल है। **अभियुक्त श्रीराम यादव की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है, जिसके बावत ग्राम प्रधान का प्रतिवेदन व उ०प्र०सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न है।**

प्रार्थी/वादी मुकदमा बंका यादव/चोटहिल की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.07.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा वादीगण व अभियुक्तगण में गाँव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा सुलह समझौता करा दिया गया है, अब कोई विवाद शेष नहीं है। मुकदमा चलने से आपसी सौहार्द खराब होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में सुलह समझौता के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी/वादी मुकदमा बंका यादव/चोटहिल स्वयं समक्ष न्यायालय उपस्थित है। प्रार्थी/वादी मुकदमा बंका यादव/चोटहिल ने समक्ष न्यायालय अपना बयान दर्ज करवाया है कि तथाकथित घटना गोबरधन पूजा के दिन का है। सभी लोग गोबधन पूजा में इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान किसी द्वारा पटाखा फोड़ दिया गया और भगदड़ मच गया। भगदड़ में गिरने से चोटें आ गयी। पटाखा किसने फोड़ा किसी ने नहीं देखा। गलतफहमीवश अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। अभियुक्तगण हमको मारे पीटे, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी नहीं दिये थे। मैं दरोगा जी को बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिख लिया मैं नहीं बता सकता। हम लोगों के बीच सुलह हो गया है। साथ ही साक्षी **मालती/चोटहिल** ने समक्ष न्यायालय अपना बयान दर्ज करवाया है कि मैं आज न्यायालय आयी हूँ गोबधन पूजा में पटाखा फूट गया था, जिससे लोग जान बचाने भागे थे, उसमें चोट आ गयी थी। मुझे रमाकान्त, जगदम्बा, चन्द्रिका नहीं मारे पीटे थे न गाली गुप्ता दिया थे न जान से मारने की धमकी दिये थे। मैं अपनी स्वेच्छा से बयान दे रही हूँ। इसके अतिरिक्त साक्षी **ओमप्रकाश/चोटहिल** ने समक्ष न्यायालय अपना बयान दर्ज करवाया है कि गोबरधन पूजा का दिन था, सभी लोग वहीं इकट्ठा थे। उसी दौरान किसी के द्वारा पटाखा फोड़ दिया गया। जिसमें भगदड़ मच गया। भगदड़ में गिरने के कारण चोटें आ गयी। अभियुक्तगण रमाकान्त, जगदम्बा व चन्द्रिका मुझे मारे पीटे नहीं थे, गाली गुप्ता नहीं दिये थे, जान से मारने की

Digitally signed by Sarvesh Kumar Pandey
Date: 2026.07.16 17:02:23 IST
Reason: Document Owner
Location: Kasia Kushinagar

धमकी नहीं दिये थे। गलतफहमी में मुकदमा लिखा दिये थे। इसके अतिरिक्त साक्षी **निर्मला/चोटहिल** ने समक्ष न्यायालय अपना बयान दर्ज करवाया है कि गोबरधन पूजन था। भीड़ इकट्ठा थी, जिसमें पटाखा फूट गया, भगदड़ मच गया, उसी में चोटें आयी। मुझे रमाकान्त, जगदम्बा, चन्द्रिका और श्रीराम ने नहीं मारे पीटे थे न गाली गुप्ता दिये थे न धमकी दिये। कहने पर मेडिकल कराकर मुकदमा करा दिया गया। मैं अपनी मर्जी से बयान करा रही हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सुलह हो गयी है। अतः न्यायहित में प्रस्तुत फौजदारी वाद सं०–1405/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–320 द०प्र०सं० दिनांकित 16.07.2026 के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त फौजदारी वाद सं०–1405/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–320 द०प्र०सं० दिनांकित 16.07.2026 के आधार पर निर्णीत किया जाता है। अभियुक्तगण **रमाकान्त यादव, जगदम्बा यादव व चन्द्रिका यादव** पर अधिरोपित आरोप धारा–323,504,506 भा०द०सं० को धारा–320 द०प्र०सं० के अंतर्गत शमन किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा०द०सं० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पहले से जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र खण्डित किये जाते हैं तथा उसके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–16.07.2026

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
प्रथम अति० सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०, कसया–कुशीनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–16.07.2026

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
प्रथम अति० सिविल जज(जू०डि०)/
जे०एम०, कसया–कुशीनगर।